FORM No. III (प्रारूप संख्या-3)

जी.टी.एम.एस.नं. ....

फर्द अहकाम

(नियम 26)

आज अदालत .... मुकाम ....

.... बनाम ....

किस्म मुकदमा .... नम्बर .... वर्ष ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/10/2	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ आज अदालती [illegible] का [illegible] कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15/11/22 को पेश हो।	
15/11/22	पत्रावली पेश हुयी। पैरोकार सरकार उप०। वकील अप्रार्थी बार-बार आवाज लगाने के बावजूद भी अनु०, अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। बहस पैरोकार सरकार सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय दि. 28/11/22 को पेश हो।	
28.11.22	पत्रावली आज वास्ते निर्णय पेश हुयी। पत्रावली व समस्त दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। बहस पैरोकार सरकार पर मनन किया गया जिससे जाहिर है कि अप्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि में बिना सक्षम अनुमति प्राप्त किये कुल 08 पेड़ काटे हैं। जबकि (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	

Scanned with OKEN Scanner

अपराधी को प्रार्थी के समक्ष विहित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर इस हेतु अनुमति प्राप्त करनी चाहिये। अतः अधिनियम की धारा 86 के प्रावधान के तहत अपराधी पर प्रति पेड़ 100/- (एक सौ रुपये) कुल 800/- (अक्षरे आठ सौ रुपये) का जुर्माना आरोपित किया जाता है तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि उक्त जुर्माना राशि विहित विधि द्वारा अपराधी से वसूल कर राजकोष में कुसंगत मद में जमा करवाया जावें। उक्तानुसार प्रार्थना पत्र निर्णित किया जाता है। पत्रावली वाद फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

(ब्रजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

Scanned with OKEN Scanner